

**SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998**  
**IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad , DIST-. Bhind (M.P)**

Case No.....64/18 Sum

Complaint or report madeon .....

Name and address of the Complainant.....State.....

.....

Name , parentage,caste and address of accused

आकाश पुत्र समरथसिंह यादव  
निवासी सलमपुरा थाना मौ जिला भिण्ड

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने इस न्यायालय के प्र0क्र0 55/15 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ विरुद्ध ब्रजेशसिंह व अन्य में न्यायालय में अपनी साक्ष्य के दौरान यह जानते हुए या जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाए।

इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि दफ़्तर की धारा 344 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

**(A.K.Gupta)**

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt.Bhind (M.P.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।

हस्ताक्षर अभियुक्त

**(A.K.Gupta)**

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt.Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 05.05.18 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे दफ़्त की धारा 344 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी आकाश पुत्र समरथसिंह को दफ़्त की धारा 344 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए उसकी आयु को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं रुपये 500/- (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 15 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तपुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

मेरे निर्देशन पर टंकित

**(A.K.Gupta)**  
Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)